टाटा केमिकल्स लिमिटेड.

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सी) वर्ष 2000 की संख्या 9423-9432)

24 मार्च, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम और आफताब आलम, जेजे.)

सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और सीमा शुल्क) डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क का संग्रह और चोट का निर्धारण) नियम, 1995:

आर. 18 - डंपिंग रोधी शुल्क-निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा निर्धारण -सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांकित 27.10.1998- डंपिंग रोधी शुल्क-सीमा लागू करना- शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील- सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष अपील स्पष्ट रूप से पोषणीय थी जब चुनौती निर्धारण के लिए दी गई हो जैसा कि दिनांक 27.10.1998 को जारी अधिसूचना से स्पष्ट है।

विशेष अनुमति याचिकाओं (2000 के सं. 9423-9432) की सुनवाई करने वाली खंड पीठ ने उल्लेख किया कि सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा दिनांक 21.1.2000 को पारित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ दिनांक 11.5.2000 को न्यायालय द्वारा इन टिप्पणियों के साथ खारिज की गयी थी कि नामित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश संस्तुतिपरक था और भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्धारण के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हालाँकि, उक्त पीठ ने यह भी नोट किया कि सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष आपत्ति केवल नामित प्राधिकरण के निर्धारण के खिलाफ नहीं थी बल्कि डंपिंग रोधी शुल्क लगाने वाली सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांकित 27.10.1998 के खिलाफ भी

थी, और यह तथ्य दिनांक 11.5.2000 को आदेश पारित करने वाली पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

पीठ ने अपने दिनांक 24.8.2000 को पारित आदेश द्वारा यह पाया कि एस. एल. पी. पोषणीय होगी और तदानुसार नोटिस जारी किया गया। जब एसएलपी को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया तो संबंधित पीठ ने यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.5.2000 और 24.8.2000 के आदेश परस्पर विरोधी हैं, अतः प्रकरणों को एक तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार, मामले तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए।

इस पर फैसला देते हुए अदालत ने यह निर्णय पारित किया की सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांकित 27 अक्टूबर, 1998 को चुनौती देना एक विशिष्टता है।जब मामला दिनांक 11.5.2000 को देखा गया तब खंडपीठ द्वारा यह पहलू स्पष्ट रूप से नोट नहीं किया गया था। आदेश दिनांकित 24.8.2000 में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और सीमा शुल्क) डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क का संग्रह और चोट का निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 18 के तहत किया गया निर्धारण दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना जारी होने के साथ हुआ है और इसलिए, सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष अपील पोषणीय है। आदेश दिनांकित 24.8.2000 के द्वारा स्पष्ट रूप से इस विशिष्टता को सामने लाया गया है। चूँकि दिनांकित 24.8.2000 आदेश सही स्थिति को दर्शाता है, अतः यह कहा जा सकता है कि एसएलपी न्यायोचित रूप से पोषणीय है। दिनांक 11.5.2000 को पारित आदेश द्वारा एस. एल. पी. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ख़ारिज की गयी कि सुसंगत पहलुओं को पीठ के ध्यान में नहीं लाए गए थे। अतः, 27 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना से

यह स्पष्ट है कि जब आपत्ति निर्धारण कि विरुद्ध थी, तो सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष अपील स्पष्ट रूप से पोषणीय थी।

मामलों को गुणवगणों पर निस्तारण हेतु दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा [पैरा 4-6] [324-सी, डी, ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अनुमति याचिका (सी) 2000 का सं 9423-9432।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील संख्या सी/692-697/98-एडी और सी/63-66/99 एडी में दिनांक 21/1/2000 को पारित अंतिम आदेश सं. 6-15/2000/AD।

एसएलपी (सी) 2000 का संख्या। 9781-9790, 20463, 20464, टी.सी. (सी) 2001 का नं. 6,2002 का 44 एवं 45, डब्ल्यू.पी. (सी) 2003 का सं. 23, डब्ल्यू.पी. (ग) 2000 का सं. 558, 2005 का सी.ए. सं. 7189।

याचिकाकर्ता की ओर से- वी. लक्ष्मी कुमारन, अजय शर्मा, मोनीश पांजा, एम. पी. देवनाथ, मनु नायर, मार्क डिसूजा (मेसर्स सुरेश ए. श्रॉफ एंड कम्पनी), मेसर्स गागराट एंड कंपनी, मेसर्स। सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी, अजीत कुमार सिन्हा, संध्या कोहली (मेसर्स ओ.पी. खेतान एंड कंपनी की ओर से), ए. रघुनाथ, एम.पी. देवनाथ।

प्रत्यार्थिगण की ओर से-विकास सिंह, ए.एस. जी., शलिंदर सैनी, रश्मि मल्होत्रा,अलका शर्मा, टी.ए. खान, बी.वी. बलराम दास, कृष्णन वेणुगोपाल, अबीर फूकन, अजीत कुमार सिन्हा, बी. कृष्ण प्रसाद, एच.के. पुरी, प्रमोद बी. अग्रवाल, आर.एस. सूरी, आर.डी. उपाध्याय, श्रीकांत एन.तेरडाल, प्रताप वेणुगोपाल, सुरेखा रमन, झूमा बोस (मेसर्स के.जे. जॉन एंड कंपनी की ओर से)।

प्रतिवादीगण की ओर से - अंकुर सहगल, बीना गुप्ता, रश्मि रेखा, गौरव सिंह, बी. कृष्ण प्रसाद, अरुण कुमार सिन्हा और ए. रघुनाथ।

न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा पारित किया गया।

1. चूँकि विशेष अनुमति याचिकाएं, रिट याचिकाएं, दीवानी अपील और स्थानांतरण आवेदनों में समान विवाद शामिल हैं, उन्हें निस्तारन हेतु एक साथ देखा जा रहा है। जब वर्ष 2000 की एसएलपी (सी) Nos.9423-9432 को स्वीकरती हेतु सूचीबद्ध किया गया, तब यह नोट किया गया कि पहले एसएलपी (सी) सं.8203-8212/2000 (मेसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य) जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सी. ई. जी. ए. टी.') के दिनांक 21 जनवरी, 2000 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी, को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि नामित प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली, के आदेश संस्तुतिपरक हैं और यह कि एक अपील निर्धारण के विरुद्ध पोषणीय है एवं यह निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है।

2. विशेष अनुमति याचिकाओं 2000 के (सिविल) सं 9423-9432 की सुनवाई करने वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह नोट किया कि सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष चुनौती केवल टाटा केमिकल्स लिमिटेड के निर्धारण के खिलाफ नहीं था अपितु सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांकित 27 अक्टूबर, 1998 के ख़िलाफ़ भी था। जिसके तहत डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब दिनांक 11 मई, 2000 को आदेश पारित किया तब इस पहलू को स्पष्ट रूप से पीठ के ध्यान में नहीं लाया गया और सी.ई.जी.ए.टी. का आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 की सीमा

शुल्क अधिसूचना का उल्लेख नहीं करता जो कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं में विवादित है। पीठ ने यह कहा कि इसी वजह से संभवतः न्यायालय विश्वास करने के लिए प्रेरित था कि अपील निर्धारण की अधिसूचना जारी करने से पूर्व दायर की गई थी। अतेव में नोटिस जारी किया गया था। जब दिनांक 5.3.2002 को मामले की सुनवाई दो न्यायाधीशों की पीठ ने की तब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

> "श्री मुकुल रोहतगी, जो कि प्रतिवादिगण की ओर से पेश विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, कि सी.ई.जी.ए.टी. के विवादित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय की खंड पीठ ने 11 मई, 2000 के आदेश द्वारा किसी अन्य पक्ष द्वारा दायर एस.एल.पी पर विचार करने से इनकार कर दिया। आक्षेपित आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एस.एल.पी संख्या 9423-9432/ 2000, दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 24 अगस्त, 2000 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि एसएलपी पोषणीय हैं और नोटिस का आदेश दिया। इस विवाद को स्पष्ट को देखते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया। श्री शांति भूषण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी यह निवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकारत की ओर से श्री पी. चिदम्बरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि एक रीत याचिका पहले से दायर हो चुकी है, यह प्रश्न सुसंगत नहीं है। इस्स प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। रजिस्ट्री को यह

निर्देशित किया जाता है भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त कर मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अधिमानतः पहले की तिथि पर रखा जावे।"

3. पीठ ने यह पाया कि दोनों आदेशों में विरोधाभास था। ऊपर निर्दिष्ट 11.5.2000 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः

"विशेष अनुमति याचिकाओं के विचारन हेतु कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है। अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि नामित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से संस्तुतिपरक है। अपील निर्धारण के विरुद्ध पोषणीय है और यह निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उपरोक्त कारणों से न्यायालय द्वारा समविधान के अनुछेद 136 में निहित अधिकारक्षेत्र को अस्वीकार आर विशेष अनुमति याचिकाओं को ख़ारिज किया जाता है।"

तदनुसार मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया:

4. दिनांक 24.8.2000 को पारित आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कई एसएलपी की पहले बर्खास्तगी के बावजूद नोटिस क्यों जारी किया गया था। विशिष्ट रूप से आपत्ति सीमा शुल्क अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 के विरुद्ध थी। जब मामला खंड पीठ द्वारा दिनांक 11.5.2000 को विचारन हेतु देखा गया, उस समय यह पहलू स्पष्ट रूप से नोट नहीं किया गया था। आदेश दिनांकित 24.8.2000 में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और सीमा शुल्क) डंप की गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क का संग्रह और चोट का निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 18 के तहत किया गया निर्धारण दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना

जारी होने के साथ हुआ है और इसलिए, सीईजीएटी के समक्ष अपील पोषणीय है।आदेश दिनांकित 24.8.2000 के द्वारा स्पष्ट रूप से इस विशिष्टता को सामने लाया गया है। चूँकि दिनांकित 24.8.2000 आदेश सही स्थिति को दर्शाता है, अतः यह कहा जा सकता है कि एसएलपी न्यायोचित रूप से पोषणीय है। दिनांक 11.5.2000 को पारित आदेश द्वारा एसएलपी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ख़ारिज की गयी कि सुसंगत पहलुओं को पीठ के ध्यान में नहीं लाए गए थे।

5. अतः, जब दिनांक 27 अक्टूबर, 1998 की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि आपत्ति निर्धारण के विरुद्ध है, तो न्यायालय के मत में सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से पोषणीय हैं।

6. इन मामलों गुण-दोष के आधार पर निस्टारन हेतु को न्यायालय के माननीय दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जावे। तदनुसार, आदेश पारित किया गया।

मामले लंबित हैं।

आर.पी.

मामले लम्बित हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक विनीत कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।